प्रथम अध्याय

राजभाषा हिंदी : वैधानिक प्रावधान का विवेचन

प्रास्ताविक :

भारतीय संविधान इस देश की स्वतंत्रता के बाद की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। उसमें भी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना एक ऐतिहासिक निर्णय है। किंतु सच्चाई यह है कि इस देश में हिंदी राजभाषा के रूप में कम और जनभाषा के रूप में ही अधिक सबल परिलक्षित होती है। संविधान की दुहाई देनेवाले भी राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति सतर्क नजर नहीं आते। इसके कारण जितने भी हो, किंतु हिंदी को लेकर वैधानिक प्रावधान के प्रति अपरिचित होना भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। अतः राजभाषा हिंदी के वैधानिक प्रावधान का विवेचन यहाँ करना अनिवार्य है।

१.१. भारतीय परिवेश में हिंदी के विविध रूप :

१.१.१ मातृभाषा हिंदी :

मातृभाषा को "Language of cradle (हिंडोले की भाषा)" कहा जाता है । जन्म लेते ही "अरे मेरा लाड़ला/लाड़ली" ये शब्द जिस भाषा में बच्चे के कान पर पड़ते हैं, वही उसकी मातृभाषा होती है। जो भाषा माँ से विरासत में मिलती है, वह मातृभाषा कहलाती है। माँ का संबंध किसी वर्ग या समुदाय से होता है । इसलिए उस समुदाय में बोली जानेवाली भाषा उस समुदाय के सभी लोगों की मातृभाषा कही जाती है ।

इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि बच्चे की मातृभाषा वह होती है जिस भाषा के परिवेश में बच्चा पलता/बढ़ता है । उसकी प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में होती है, वह भी उसकी मातृभाषा ही होती है । हम बहुभाषीय देश के निवासी हैं । एक भाषा-भाषी जब दूसरी भाषा के राज्य में अपना गुजर-बसर करने के लिए, रोज-रोटी कमाने के लिए जाता है, तब बच्चे की पढ़ाई-लिखाई उस राज्य की भाषा-माध्यम द्वारा होती है । उस राज्य के परिवेश में उसकी परवरिश होती है। ऐसे में उस बच्चे की यह भाषा भी मातृभाषा ही साबित होगी । इस भाषा में भी वह व्यक्ति अपने भावों-विचारों का संप्रेषण आसानी-से कर सकता है ।

मातृभाषा सहज अभिव्यक्ति के साथ-साथ सहज बोध का भी साधन है। अर्थात मातृभाषा में कही गई बात मनुष्य को बहुत जल्दी समझ में आती है। यही कारण है कि विश्व की विख्यात शिक्षा-

शास्त्रियों ने मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। पी.बी.बेलार्ड के विचारानुसार-मातृभाषा बच्चे की वह भाषा है जिसके द्वारा वह सोचता और सपने बुनता है । "The toungue in which a child thinks and dreams." अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कालरेज ने मातृभाषा को- "मनुष्य शरीर में धड़कते हृदय की भाषा" कहा है। महात्मा गांधीजी ने तो यहाँ तक कहा है कि "मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी की बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध ।"

हमें यहाँ हिंदी के मातृभाषा रूप की ही चर्चा करनी है । मातृभाषा के रूप में हिंदी का रूप काफी निखरा हुआ है । वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों एवं दिल्ली, अंडमान-निकोबार आदि केंद्रशासित प्रदेशों की राज्यभाषा है । इस विशाल भूप्रदेश की मातृभाषा के रूप में हिंदी कार्यरत है । ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी आदि अठारह बोलियों-उपबोलियों से हिंदी समृद्ध है। मातृभूमि की भाषा होने के नाते हिंदी यहाँ की मातृभाषा ही है ।

१.१.२ बोलचाल की सामान्य हिंदी :

जब दो मनुष्य पहली बार मिलते हैं तब वे मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं । परिचय बढ़ने के पश्चात ही लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। याने समाज के भिन्न-भिन्न लोग आपस में संपर्क करते समय मौखिक अभिव्यक्ति को ही प्रधानता देते हैं। वैसे देखा जाय तो मौखिक भाषा की निर्मिति पहले हो गई, बाद में भाषा के लिखित स्वरूप का धीरे-धीरे विकसन और प्रचलन हो गया। भावाभि-व्यक्ति में बोलना ही सबसे प्राचीन, प्रभावोत्पादक, व्यावहारिक तथा उपयोगी साधन है । समस्त जीवन-व्यापार बोलचाल पर ही निर्भर है । घर में, घर से बाहर, व्यापार में या व्यवसाय में बोलचाल द्वारा ही कार्य होता है ।

बोलीभाषा का व्यवहार बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता है । यह भाषा साहित्यिक या मानक भाषा के व्याकरणिक बंधनों को तोड़कर बाढ़ की नदी जैसी प्रवाहित होती जाती है । यह जन-सामान्य की रुचि एवं सुविधा के अनुसार अपना रास्ता खोजती जाती है । इसी कारण यह भाषा मानक भाषा के समान स्थिर नहीं होती । समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार इसमें काफी परिवर्तन हो जाता है । यह भाषा अकृत्रिम होती है और साहित्यिक भाषा कृत्रिम होती है । इसके साथ यह भी बात महत्त्वपूर्ण है कि बोलचाल की भाषा की अपेक्षा परिनिष्ठित भाषा का स्तर ऊँचा होता है।

वैसे देखा जाय तो हिंदी की ब्रज, अवधि, बुंदेली, खडीबोली, भोजपुरी आदि अनेक बोलियाँ एवं उपबोलियाँ हैं। किंतु खडीबोली पर आधारित भाषा का जो रूप बोलचाल में पाया जाता है, वही बोलचाल की सामान्य हिंदी है। इस हिंदी का कोई निश्चित रूप नहीं होता। वह वहाँ की स्थानीय भाषा से पूरी तरह प्रभावित होती है। जैसे कि मुंबई की हिंदी पर मराठी भाषा का प्रभाव होने के कारण उसे बंबईया हिंदी कहा जाता है। कोलकाता की हिंदी पर बंगाली का प्रभाव है, तो हैद्राबादी हिंदी का कुछ और ही रंग है। ऐसी भाषाओं को "पिजिन लैंग्वेज"[1] कहा जाता है। इस तरह बोलचाल की हिंदी का रूप सर्वसमावेशक एवं सर्वव्यापक हो रहा है।

१.१.२ संपर्क भाषा हिंदी :

हमारे विशाल भारत देश में अनेक जाति-धर्मों के लोगों का निवास है। विशाल हृदयी इस देश में अनेक धर्मों को उदार आश्रय मिला। इन धर्मो के साथ इन धर्मों के रीति-रिवाज, उत्सव-त्यौहार और भाषा-बोलियों का भी विकास हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार अठारह बोलियाँ हैं और जन-गणना के अनुसार तेरह सौ भाषाएँ और बोलियाँ हैं। इस विशाल खंडप्राय देश के लोगों को साहित्य, विज्ञान, समाज, व्यापार, राजनीति, संस्कृति और कला के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है, जो सब को एक धागे में बांध सकें, परस्पर विचार-विनीमय का साधन बन सकें । इसे ही संपर्क भाषा कहते हैं।

पहले भारत की संपर्क भाषा वैदिक संस्कृत थी, जिसका स्वरूप ऋग्वेद से परिलक्षित होता है। बाद में यही भाषा परिष्कृत होकर संस्कृत बन गई। उस काल में यह भाषा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में संपर्क भाषा बनी रही। धीरे-धीरे व्याकरण बद्‌ध संस्कृत से आम जनता कटती गई। वह उसके लिए दुरुह बन गई और आम जनता की भाषा प्राकृत कहलाई। प्राकृत से अपभ्रंश भाषाएँ निकली। इन

---

१. भाषा विज्ञान-भोलानाथ तिवारी-पृष्ठ ५१५- कभी-कभी ऐसा होता है कि दो भाषा-भाषी समुदाय साथ-साथ रहने लगते हैं और दोनों भाषाओं का एक मिश्रित रूप विकसित हो जाता है। पिजिन शब्द मूलतः अंग्रेजी शब्द Business है। जब अंग्रेज व्यापार करने चीन पहुँचे तो अंग्रेजी-चीनी के मिश्रण से (आधार भाषा अंग्रेजी, प्रभावक भाषा चीनी) एक विशेष प्रकार की अंग्रेजी का विकास हुआ। वह मूलतः Business English कहलाई । यह बिजनिस शब्द चीनी उच्चारण से पिजिन हो गया।

अपभ्रंश भाषाओं से आज की मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कश्मिरी, सिंधी, हिंदी आदि भाषाएँ जन्मी । इन सभी भाषाओं के बीच भारत की बहुमत की भाषा हिंदी ११-१२ वीं सदी से ही संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती रही । नामदेव आदि दक्षिण के संतों ने एवं कबिरादि उत्तर भारतीय संतों ने इसी भाषा में (हिंदी का प्राचीनतम रूप, जो आज के स्वरूप से बहुत भिन्न है।) अपने विचारों एवं सिद्धांतों को प्रेषित किया ।

आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता अनुभव की गई, तब वह कार्य करने की क्षमता देश की बहुमत की भाषा हिंदी ने दिखाई । शुरु से ही दक्षिण की भाषाएँ द्राविडियन कुल की याने संस्कृत की प्रकृति से भिन्न थी। फिर भी प्राचीन काल में संस्कृत भाषा उत्तर एवं दक्षिण भारतीयों के बीच में संपर्क भाषा का कार्य करती थी। उसका स्थान आधुनिक काल में हिंदी ने लिया है और आज हिंदी देश के विभिन्न राज्यों के संस्कृति का वहन एवं धार्मिक, सामाजिक, कला, व्यापार के क्षेत्र में सहयोग कर रही है। इस देश में भले ही राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप बुझा-बुझा-सा है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में धीरे-धीरे उसका स्वरूप निखर रहा है और चोटी की तरफ बढ रहा है। भलेही अफसरों एवं राजनीतिज्ञों ने इसे नकारा हो, लेकिन इसे आसेतु-हिमालय आम जनता की बड़ी मात्रा में मान्यता मिल रही है। आम जनता को यह भाषा अंग्रेजी से अधिक आसान एवं अपनी लगती है। इसीलिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का रूप उत्तरोत्तर निखर रहा है ।

१.१.३ प्रयोजनमूलक हिंदी :

प्रयोजनमूलक हिंदी अंग्रेजी शब्द "फंक्शनल हिंदी" का पर्याय है । अगर शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हुआ-ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाए । इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यावहारिक हिंदी भी कहा जाता है। व्यावहारिक हिंदी से तात्पर्य है-दैनिक जीवन में कार्य-साधन के लिए प्रयुक्त की जानेवाली हिंदी। ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाए व्यावहारिक उपयोगिता अधिक हो ।

स्वरूपतः सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा एक होती है, परंतु उनकी शब्दावली अलग-अलग होती है । सामान्य भाषा की तुलना में प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है । साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा के बीच

के सभी अंतर होते ही हैं, परंतु इनके अलावा कभी-कभी साहित्यिक भाषा में कलाग्रह के कारण भाषा साधन से साध्य बन जाती है, किंतु प्रयोजनमूलक भाषा कभी साधन से साध्य नहीं बनती । इसी प्रकार साहित्यिक भाषा का लक्ष्य प्रायः सौंदर्यानुभूति अथवा कभी-कभार चमत्कार होता है, जबकि प्रयोजन-मूलक हिंदी का पहला और अंतिम लक्ष्य सेवा माध्यम (Service Tools) होता है, जीविकोपार्जन का साधन बनना है। साहित्यिक भाषा भाव-स्पंदन एवं हृदय-संवेदन की भाषा है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा सिर्फ सपाट अभिव्यक्ति का माध्यम है ।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जानेवाली भाषा विशेष प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है । प्रयोजनमूलक हिंदी के मुख्य दो भेद होते हैं और अनेक उपभेद हैं-

अ. पारस्परिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त सामान्य हिंदी

Core Hindi for inter-personal communication

क. कार्यालयीन हिंदी-कार्यालय प्रशासन के लिए प्रयुक्त

Officialise Hindi for Office administration

ख. व्यावसायिक हिंदी-वाणिज्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त

Commercialise Hindi for Commercial activities

ग. तकनीकी तथा विधि व्यवसाय में प्रयुक्त

Technicalise Hindi for Technical vocations including legal profession

घ. समाजी हिंदी

Socialise Hindi for carriers in public relation

आ. प्रबुद्ध हिंदी–Advanced Hindi

प्रयोजनमूलक हिंदी एक ओर केंद्र व राज्य शासन के पत्र-व्यवहार, विधान मंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियाँ, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, आयोग, समितियाँ, अभिसरण, मसौदे, निविदा, प्रारूप, अनुज्ञाप्तियाँ(Lisence), अनुज्ञापत्र(Permit), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि, बैंकिंग सेवा तथा डाक-तार आदि में प्रयुक्त होती है और दूसरी ओर व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य-श्रव्य माध्यमों आदि में भूमिका निभाती है ।

१.१.४ राष्ट्रभाषा हिंदी :

विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी अमीट छाप छोड़ने के लिए हर राष्ट्र को एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता असंदिग्ध रूप से है। ऐसी राष्ट्रभाषा जो उस देश के राजभाषा का उत्तर-दायित्व भी बखूबी निभा सकें। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का अर्थ है आत्मा के बिना देह! संस्कृति, कला, और दर्शन जैसी बातों की वैश्विक अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रभाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रभाषा राष्ट्र को वाणी प्रदान करती है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है।

जो भाषा संपूर्ण देश को वाणी प्रदान कर सकती है, वही राष्ट्रभाषा हो सकती है। मराठी, कन्नड, तमिल, तेलुगू, बंगला, उड़िया, गुजराती आदि सारी भारत की प्रादेशिक भाषाएँ हैं। इनमें से प्रत्येक भाषा से उसके प्रदेश की पहचान सामने आती है, न कि पूरे देश की। जबकि राष्ट्रभाषा सिर्फ उसी भाषा को कहा जा सकता है, जिससे पूरे देश की पहचान सामने आती हो और जिसका प्रवाह देश के प्रत्येक प्रदेश तक गया हो। हिंदी इस कसौटी पर खरी उतर चुकी है। अंग्रेजी का इससे कोई वास्ता नहीं है।

हिंदी प्रारंभ से ही आंतर-भाषा के रूप में विकसित हुई है। हम कह सकते हैं कि इसी कारण हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में उभरती गई। देहलवी, भाखा, हिंदवी, हिंदुई, दक्खिनी, रेख्ता, उर्दू, गूजरी, नागरी हिंदी, आर्यभाषा, हिंदुस्थानी आदि विभिन्न नामों को धारण करके हिंदी भारत के किसी एक प्रांत की भाषा न होकर उत्तर भारतके विस्तृत प्रदेश की भाषा थी और भारत के अन्य प्रांतों में बोली एवं समझी जाती थी। हिंदी देश के अधिकांश जनता की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा पद के लिए योग्य है। बहुभाषीय भारत के विशाल भूप्रदेश में बोली जानेवाली हिंदी को सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भावात्मक एकता के कारण एक मत से राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का न तो कोई निर्माण करता है और न ही उसे कोई पदच्युत ही कर सकता है, क्योंकि वह शासनकर्ताओं के संकेत से सांस नहीं लेती अपितु जनमानस के स्पंदनों में मुखर होती है। वह सामान्य मनुष्य के सुख-दुख, उल्लास-अवसाद को लिपिबद्ध करती है। इसीलिए जहाँ राजभाषा का महत्त्व राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, वहीं राष्ट्रभाषा का महत्त्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से! इसी कारण राष्ट्रभाषा का पद राजभाषा से भी बड़ा है।

स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी ने राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व निभाया है । राष्ट्र वाणी में ही भारतवासियों की स्वराज्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्राणवान अभिव्यक्ति मिली है । संस्कृत की सुदृढ नींव पर खडी हिंदी में जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा आदि सभी पदों का वहन करने की पूरी क्षमता है ।

१.२ राजभाषा की संकल्पना :

हम अपने घर-परिवार में किस भाषा में बात करें इसके लिए न किसी नियम की आवश्यकता है और न किसी कानून की ! घर के सभी सदस्यों की सुविधा के अनुसार अपने-आप किसी एक अथवा दो भाषाओं के माध्यम से काम चलाया जाता है। किसी एक भाषा-भाषी लड़की का विवाह अगर किसी दूसरी भाषा-भाषी परिवार में हो जाता है, तब वह लड़की आवश्यकता के अनुसार जल्द ही ससुराल की भाषा सीख जाती है। किंतु राजकाज के मामले में अगर पूरे देश में एक ही भाषा का प्रयोग हो तो राजकाज सुचारू रूप से चल सकता है। जहां राजा और प्रजा, सत्ताधारी दल के नेता और जनता की भाषा एक ही हो वहाँ राजभाषा का प्रश्न उठता ही नहीं कि शासन का कामकाज किस भाषा में होगा ? किंतु जिन देशों में अनेक भाषाएँ कार्यरत होती हैं, उन देशों के सम्मुख राजभाषा का प्रश्न निर्माण होता है । रूस, कनाडा, बेल्जियम, स्विटजरलैंड आदि कई ऐसे देश हैं, जहाँ एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं । ऐसे देशों को किसी एक भाषा का राजभाषा के रूप में चयन करना ही पड़ता है ।

भारत भी बहुभाषी देश है । भारत की अनेक भाषाएँ पूर्ण रूप से विकसित हैं, जो अभिव्यक्ति का पूरा सामर्थ्य रखती हैं । मराठी, तमिल, कन्नड आदि अनेक भारतीय भाषाओं को पुरानी भाषा-परंपरा है । इन भाषाओं की साहित्य संपदा उच्च-कोटि की एवं प्रचुर मात्रा में हैं । ये भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक विविधता का वहन करने में सक्षम हैं । स्वाधिनता से पहले ही तय था कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के सभी पदों पर भारतीय आसीन होंगे । उनपर विदेशी नहीं रहेंगे । उसके साथ ही देश का कामकाज भारतीय भाषाओं में होगा । उसके अनुसार विविध राज्यों की जनभाषाएँ/मातृभाषाएँ उन राज्यों की कामकाज की भाषाएँ बन गई । इन राज्यों का बहुत सारा कामकाज राज्यभाषाओं में होता है। लेकिन केंद्रीय शासन का कामकाज किस भाषा में होगा ? यह प्रश्न जब खड़ा हो गया, तब भारत की राजभाषा का प्रश्न का निर्माण हो गया। यह बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी स्वतंत्र देश की

राजभाषा उस देश की ही ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, जो उस देश को वाणी देने में समर्थ हो और देश की बहुमत की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा कहलाती हो । साथ ही वह जनभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में कार्यरत हो ।

बहुत पहले इन सारे कार्यों का वहन संस्कृत करती थी । वही देश की राजभाषा एवं संपर्क भाषा थी । धीरे-धीरे व्याकरण बद्‌ध संस्कृत सिर्फ साहित्यिक एवं राजभाषा बनकर रह गई । जन-सामान्य के लिए दुरूह बनने के कारण उसका संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा का स्वरूप मिटता चला गया । बाद में जन-सामान्यों की प्राकृत, तदनंतर अपभ्रंश भाषाएँ संपर्क भाषा के पद का वहन करने लगी । मुगलों और तुर्कों ने अपने शासन काल में फारसी को राजभाषा बनाया, किंतु अपभ्रंश से उभरती हिंदी तब भी संपर्क भाषा एवं जनभाषा के रूप में कार्यरत रही । बाद में मुगलों ने हिंदी को भी सह-राजभाषा का दर्जा दिया । अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजी राजभाषा बनाई गई । लेकिन तब भी हिंदी (पहले ब्रज तथा बाद में खड़ीबोली) संपर्क भाषा एवं मातृभाषा के रूप में निखर रही थी । भाषा के मामले में अंग्रेजों ने अनेक खेल खेले । कभी उन्होंने हिंदी को मान्यता दी, परंतु तुरंत हिंदी को हटाकर उर्दू को मान्यता दी और हिंदी को पीछे धकेल दिया । भाषा का उपयोग करके भी उन्होंने इस देश की जनता के मन में कटुता, भेद एवं संघर्ष के बीज बोए ।

स्वतंत्रता के बाद राजभाषा के प्रश्न का निर्माण होना स्वाभाविक ही था । अंग्रेजी जैसी पराई भाषा को राजभाषा घोषित करना गलत ही होता । जो भाषा देश की सामान्य जनता से कोसों दूर हो, वह देश की राजभाषा कैसे घोषित की जा सकती थी ? संविधान के गठन से पहले हुई संविधान सभाओं में अनेक मत-मतांतर एवं संघर्ष के पश्चात आखिर देश की अधिकांश जनता की भाषा हिंदी को ही राजभाषा के रूप में चुना गया, जो कि बिलकुल सही और न्याय एवं तर्क संगत निर्णय है ।

आज राजभाषा संघर्षों से गुजर रही है, बिलकुल अंग्रेजी की तरह । इंगलैंड में भी अंग्रेजी को न्यायालयों आदि की भाषा बनाने के लिए लंबे समय तक प्रयत्न करने पड़े । इसी प्रक्रिया से आज हिंदी गुजर रही है । यह उसका संघर्ष अंग्रेजी के साथ जारी है, किसी भारतीय भाषा के साथ कदापि नहीं । वह अंग्रेजी का स्थान लेने का प्रयास कर रही है । आज हिंदी सिर्फ जन-सामान्य की ही भाषा है, लेकिन वह जल्द ही राजकाज की भाषा बनने का सम्मान प्राप्त करेगी ।

१.३ राजभाषा पद के लिए हिंदी का संघर्ष :

हिंदी इस देश की अधिकांश जनता की भाषा होने के बावजूद उसे राजभाषा पद आसानी से नहीं मिला। वह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद परंपरा से राष्ट्रभाषा थी, फिर भी राजभाषा का पद प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा । फरवरी, १९४८ में संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसमें राजभाषा संबंधी कोई धारा नहीं थी। मात्र इतना उल्लेख था कि संसद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी । प्रारंभ में काँग्रेस पक्ष राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर निम्नांकित कोटि में विभाजित था-

१. एक छोटा वर्ग ऐसा था, जो संविधान द्वारा राजभाषा के निर्धारण के विरुद्ध था।
२. एक छोटा किंतु अत्यंत शक्तिशाली वर्ग हिंदुस्तानी चाहता था ।
३. एक छोटा वर्ग दक्षिण भारतीयों का था, जो चाहता था कि अंग्रेजी पंद्रह वर्षों के लिए राजभाषा बनी रहे और तब तक हिंदी का प्रश्न शीतागार में पड़ा रहे ।
४. पुरुषोत्तमदास टंडन के नेतृत्व में सदस्यों का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रचलित कर दिया जाए ।
५. एक बड़ा वर्ग कोई ऐसा सूत्र चाहता था, जो कार्य-योग्य समझौता दे सकें और अंततः हिंदी को राजभाषा बना सकें ।

संविधान सभा में राजभाषा के बारे में बहुत सारे विचार प्रकट हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

श्री. नजीरुद्दीन अहमद ने विचार प्रकट किया कि अंग्रेजी को उस समय तक जारी रखा जाय जब तक की एक अखिल भारतीय भाषा उभरकर न आए । उन्होंने बंगला के उच्च साहित्य की चर्चा करते हुए कहा कि उसके बोलनेवालों की संख्या के आधार पर नहीं तो उसके गुणों के आधार पर उसे संघ की राजभाषा बनाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा की महानता बताते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा के रूप में उसे अपनाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए । हिंदी, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए आसान है, किंतु अन्य क्षेत्रों के लिए कठिन है। यदि संस्कृत कठिन भाषा है तो वह निष्पक्ष रूप से सभी के लिए कठिन होगी और इसे अपनाने से सभी के प्रति निष्पक्षता बरती जा सकेगी ।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र ने भी संस्कृत को संघ की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव किया, तो श्री. सतिशचंद्र सामंत ने बंगला को प्राचीन तथा समृद्ध भाषा बताते हुए भारत की राजभाषा या

राष्ट्रभाषा बनाए जाने का सुझाव दिया । मोहम्मद हिफर्जुरहमान, काजी सैयद, करीमुद्दीन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा कुछ अन्य सदस्यों ने हिंदी की जगह हिंदुस्तानी अपनाने का सुझाव दिया। सर्वश्री आर.वी.धुलेकर, अलगुराय शास्त्री आदि ने हिंदुस्तानी का तथा अंग्रेजी को पंद्रह वर्ष तक जारी रखने का विरोध किया तथा देवनागरी अंकों का समर्थन किया ।

श्री. फ्रेंक अंथोनी ने सुझाव रखा-हिंदी को रोमन लिपि के साथ अपनाए जाने का । उन्होंने कहा- अंग्रेजी मेरी मातृभाषा है, अतः मेरा कहना है कि अंग्रेजी एक भारतीय भाषा है ।.... यद्यपि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा है और यद्यपि मैं अंग्रेजी को भारतीय भाषा मानता हूँ, मैं यह अनुभव करता हूँ कि अंग्रेजी अनेक कारणों से इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । डा. पी.सुब्बरायन तथा सरदार हुकुमसिंह ने देवनागरी में लिखित हिंदी के बजाए रोमन लिपि में लिखित हिंदुस्तानी, तो श्री. जसपालसिंह ने हिंदी के लिए रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव दिया ।

अंत में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, तब डा. शामाप्रसाद मुखर्जी के उद्गार मार्मिक थे । उन्होंने कहा- जो निर्णय हम लेने जा रहे हैं वह ऐसा है कि उस जैसा भारत के इतिहास में पिछले हजारों वर्ष में नहीं लिया गया। हम उस बात को प्राप्त करने में सफल हुए हैं, जो हमारे पूर्वज प्राप्त नहीं कर पाए ।... यह सदन इस बात पर गर्व कर सकता है कि यह अपनी मातृभूमि की राष्ट्रीय एकता में वास्तविक योगदान कर रहा है ।....यदि मैं हिंदी भाषी प्रांत का होता तो आज के इस समझौते पर गर्व करता जिसे इस सदन के लगभग सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है और स्वाधीन भारत के राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अंगिकार किया है। मुझे आशा है कि हिंदी भाषी प्रांतों के मेरे मित्र इस ठोस उपलब्धि को भुलाएंगे नहीं। हम हिंदी को क्यों स्वीकार कर रहे हैं ? इसका मुख्य कारण है कि यह अकेली भाषा है जिसे आज देश में सबसे अधिक इकट्ठा कोई वर्ग समझता है । यदि आज की ३२ करोड़ जनसंख्या में १४ करोड़ लोग किसी भाषा को समझते हैं, और यदि यह भाषा प्रगामी विकास की सामर्थ्य भी रखती है, तो हमें समस्त भारत के उपयोग के लिए उस भाषा को स्वीकार कर लेना चाहिए । सेठ गोविंददास ने हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया ।

इस तरह इतने सारे विचार-विनिमय एवं बहस के पश्चात अंत में संविधान सभा में हुए मतदान में हिंदी के पक्ष में ६३ वोट थे और हिंदुस्तानी के पक्ष में ३२ और इसी प्रकार देवनागरी लिपि के

पक्ष में ६३ वोट थे तथा विपक्ष में १८ वोट थे। इस तरह राजभाषा पद के लिए हिंदी को शुरु से संघर्ष करना पडा है।

१.४ हिंदी का राजभाषा के रूप में स्वीकार : कारण और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि :

"जिस देश में निजभाषा का अभाव होता है और विदेशी भाषाओं का प्रभुत्व होता है, वह देश स्वाधीन होकर भी मानसिक दृष्टि से पराधीन ही होता है।" [१] इसीलिए राजभाषा पद की अधि-कारिणी उस देश की ही कोई भाषा हो सकती है। फिर हिंदी ही क्यों ?

१. पूर्व काल में आवागमन, तीर्थाटन, पर्यटन, व्यापार, धर्म प्रचार आदि में संस्कृत संपर्क भाषा का काम करती थी। पाली, पाकृत और अपभ्रंश के बाद धीरे-धीरे वह स्थान हिंदी ने ले लिया और स्वतंत्रता के पूर्व ही हिंदी इस खंडप्राय देश के संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी थी।

२. नामदेव, ज्ञानदेव, कबीरादि संतों ने अपने मतों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए हिंदी भाषा को ही चुना। क्योंकि हिंदी उस काल की आंतरराज्यीय भाषा थी।

३. भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तब भी अनेक कामों में हिंदी का प्रयोग होता था। स्कूलों और कालिजों में हिंदी पढाई जाती थी और सामाजिक कार्यों में भी हिंदी का भरपूर प्रयोग होता था। व्यापारिक क्षेत्रों में अधिकांश कामकाज हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में होता था। हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास आदि की भाषा थी।

४. स्वतंत्रता संग्राम में देश की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को वाणी देने का काम हिंदी ने ही किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने समझ लिया था कि अगर स्वतंत्रता संग्राम को सामान्य जनों तक पहुँचना है तथा उन्हें इसमें शामिल करना है तो उसके लिए जनता की भाषा का ही प्रयोग करके उन तक इस आंदोलन को पहुँचाया जा सकता है,अंग्रेजी नहीं।

५. हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता : भारत के विभिन्न भाषी प्रदेशों में परस्पर आंतर प्रांतीय संपर्क सूत्र बनाए रखने के लिए तथा संपूर्ण देश की एकता की अक्षुण्णता के उद्देश्य से हिंदी का उपयोग किया जाता रहा है। हिंदी का संबंध अपनी सहवर्तिनी आर्यभाषाओं के साथ ही नहीं दूरवर्ती अन्य भाषाओं के साथ भी रहा है। भारत के मर्मस्थल मध्यप्रदेश की भाषा होने के साथ हिंदी की कई बोलियाँ

---

१. संपादक : गोपीकृष्ण राठी मधुकर -राष्ट्रभाषा हिंदी, पृष्ठ-२४

और उप-भाषाएँ भारत के अधिकांश प्रदेशों की व्यवहार-भाषाएँ थी । इसी कारण हिंदी का पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से भी किसी-न-किसी रूप से संबंध रहा तथा सार्वदेशिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। हिंदी की इस सार्वदेशिक व्यापकता के मूल में कई सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक, पर्यटन, साहित्यिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कारण रहे हैं।

मध्ययुगीन वैष्णव आचार्यों, निर्गुण तथा सूफी संतों ने भी संस्कृत और फारसी को छोड़कर तत्कालीन लोकभाषाओं (अवधी, ब्रज, मैथिली आदि हिंदी की बोलियों) का आश्रय लिया। दक्षिण के सूफी संतों ने दक्खिनी में विपुल साहित्य सृजन किया। इन संतों और साधुओं को हिंदी के आदि प्रचारक कहा जा सकता है।

दक्षिण में हिंदी दक्खिनी नाम से सर्वव्यापक हो गई। कर्नाटक और आंध्र का तो हिंदी से काफी पुराना संबंध रहा है। गुलबर्गा के बहामनी वंश के महामंत्री गंगू ब्राह्मण ने दक्खिनी को राजभाषा बनाया। बहामनी राज्य के नष्ट होने पर बीजापुर में आदिलशाही, बरार में इमादशाही, अहमदनगर में निजामशाही, गोलकुंडा में कुतुबशाही तथा बीदर में बरीदशाही-इन राज्यों ने भी हिंदी भाषा को अपनाया तथा हिंदी कवि और लेखकों को राजाश्रय दिया । केरल के प्रसिद्ध राजा स्वामि तिरुमल ने हिंदी में कई भक्ति पद रचे हैं । मलयालम साहित्य में भी कहीं-कहीं हिंदी का प्रयोग प्राप्त होता है ।

इस तरह कई शताब्दियों पहले से ही संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग का होने लगा था और वह लोकप्रिय एवं सर्वव्यापक भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी ।

६. हिंदी सरल, तरल एवं वैज्ञानिक भाषा है। यह जैसे उच्चरित की जाती है, वैसे ही लिखी जाती है। भाषा के सर्वसमावेशकता के सद्गुण से भी हिंदी मंडीत है । इसने अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को खुले दिल से अपनाया है ।

७. हिंदी साहित्य में इस देश की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है ।

८. आँकड़ों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि हमारे देश में हिंदी ही सबसे अधिक बोली एवं समझी जाती है ।

९. भारत के बाहर अंडमान द्वीप, बर्मा, लंका, ब्रिटीश गायना, वेस्ट इंडीज, दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका, त्रिनीदाद, मलाया, इंडोनेशिया, फीजी, मॉरिशस आदि स्थानों में हिंदी का आश्रय लेने से बहुत दूर तक काम चल जाता है। भारत की एकमात्र भाषा हिंदी ही है जिसका प्रसार भारत की सीमा के बाहर है।

१०. इस देश के इतिहास को देखे तो प्रारंभ से ही क्रमशः संस्कृत, पालि, प्राकृत और शौरसेनी

अपभ्रंश इस देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों ही थी । जो राष्ट्रभाषा थी, वही राजभाषा भी थी । आज हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण राजभाषा पद की अधिकारिणी है ।

११. हिंदी सदियों से राजकाज में प्रयुक्त की जाती रही है। बताया जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में राज्य का हिसाब-किताब हिंदी में होता था । मराठा राज्य का राजपूत नरेशों से पत्र-व्यवहार हिंदी में होता था । शेरशाह सूरी, महमद गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था । इस्ट इंडिया कंपनी ने जनता से संबंधित कानूनों को हिंदी में दिए जाने के आदेश दिए थे, ताकि सामान्य जनता उसे समझ जाए । इन बातों से परिलक्षित होता है कि शताब्दियों से हिंदी का राजकाज के मामलातों में प्रयोग किया जाता था ।

१२. हिंदी संस्कृत की नींव पर खड़ी है। प्राचीन काल में संस्कृत राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा थी। हिंदी को लंबी भाषा-परंपरा विरासत में मिली है ।

१३. शासन का कामकाज देश की जनता की भाषा में होना चाहिए । जिससे आम जनता उसे आसानी से समझ सके और उसमें आसानी से काम कर सकें ।

कहना जरूरी नहीं कि उपर्युक्त कारणों एवं प्राचीन भाषा परंपरा और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के कारण संविधान सभी में मिले बहुमत के आधार पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

१.५ भारतीय संविधान में राजभाषा के लिए प्रावधान :

२६ नवंबर, १९४९ को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया । २६ जनवरी, १९५० से यह संविधान देश के लिए लागू हुआ और इतिहास में पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय संविधान के २,६ तथा १७ इन तीन भागों में राजभाष संबंधी प्रावधान हैं। इनमें भाग २ के अनुच्छेद २१० में राज्य की विधान सभाओं के संबंध में निर्देश हैं। १७ वें भाग के चार अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें प्रथम अध्याय में संघ की भाषा के संबंध में ३४३ तथा ३४४ अनुच्छेद हैं। द्वितीय अध्याय में ३४५, ३४६ तथा ३४७ अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में निर्देश दिए गए हैं । तृतीय अध्याय के अनुच्छेद ३४८ और ३४९ में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के संबंधी निर्देश हैं तथा चौथे अध्याय के अनुच्छेद ३५० और ३५१ में क्रमशः व्यथा निवारण के लिए अभि-वेदन में प्रयोक्तव्य भाषा और हिंदी भाषा के विकास के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के लिए जो प्रावधान मिलता है वह इस प्रकार है-

अनुच्छेद ३४३ : संघ की राजभाषा

१. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

२. खंड (१) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी । परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

३. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषा अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो ।

अनुच्छेद ३४४ : राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति

१. राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा ।

२. राष्ट्रपति को-

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के लिए

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के,

(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जानेवाले अंकों के रूप के,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी

अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा ।

३. खंड(२) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्‍योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोकसेवाओं के बारे में अहिंदी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

४. तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा की सदस्यों द्‍वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्‍धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्‍वारा निर्वाचित होंगे।

५. खंड(१) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उनपर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा।

६. अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड(५) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

अनुच्छेद ३४५ : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्‍वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होनेवाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा । परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्‍वारा इससे अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ।

अनुच्छेद ३४६ : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी, परंतु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी ।

अनुच्छेद ३४७ : किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जानेवाली

तद्विषयक माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जानेवाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे, राजकीय मान्यता दी जाए ।

अनुच्छेद ३४८ : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जानेवाली भाषा

१. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ,

(ख) जो-

१. विधेयक, अथवा उनपर प्रस्ताविक किए जानेवाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनःर्स्थापित किए जाए, उन सबके प्राधिकृत पाठ,

२. अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाएँ तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यायित किए जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ,तथा

३. आदेश, नियम, विनिमय और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद या राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जाएँ उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

२. खंड(१) के उपखंड(क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व संमति से हिंदी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखनेवाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

३. खंड(१) के उपखंड(ख) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस

विधानमंडल में पुनर्स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका(३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है, वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

अनुच्छेद ३४९ : भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से १५ वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड(१) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के लिए उपबंध करनेवाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना न तो पुनर्स्थापित और न प्रस्तावित किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुनर्स्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के खंड(१) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्छेद के खंड(५) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर, विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा ।

अनुच्छेद ३५० :

किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होनेवाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

अनुच्छेद ३५१ : हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के [1] रूप, शैली और पदावली को

---

१. भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाएँ, असमियाँ, उड़िया, उर्दू, कन्नड, कश्मिरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, मलयालम, बंगला, मराठी, संस्कृत तथा हिंदी ।

आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।

१.६ राजभाषा अधिनियम तथा नियम :

संविधान में किए गए प्रावधानों के आधार पर सन १९५५ में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग की सिफारिशों पर आधारित राजभाषा अधिनियम १९६३ में वर्ष १९६७ में सुधार करके राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६७ पारित किया गया। इन अधिनियमों को नियम का स्वरूप प्रदान करने के लिए राजभाषा अधिनियम १९६३ की धारा(८) के विहित राजभाषा नियम १९७६ बनाया गया।

१.६.१ राजभाषा आयोग-१९५५

संविधान के अनुच्छेद ३४४ के अनुसार संविधान लागू होने के पाँच वर्ष के बाद राष्ट्रपति को जो राजभाषा आयोग नियुक्त करने का अधिकार था, उसके अनुसार ७ जून, १९५५ को श्री. बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन के कार्यकलापों, न्याय, प्रतियोगिता परीक्षाएँ, संसद विधान-मंडल आदि में हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में एवं बहुभाषिकता के सिद्धांतों और लिपि के बारे में कुल २० सुझाव दिए थे।

१.६.२ राजभाषा अधिनियम १९६३ :

राजभाषा आयोग १९५५ तथा उसकी सिफारिशों पर राय देने के लिए सन १९५७ में गठित संसदीय समिति, दोनों का विचार था कि सन १९६५ के बाद हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग सहभाषा के रूप में चलता रहे। इन आयोगों की सिफारिशों पर अंमल करने की दृष्टि से सन १९६३ में राजभाषा अधिनियम बना।

मई, १९६३ में संसद द्वारा पारित इस अधिनियम में कहा गया था कि संविधान के लागू होने से लेकर १५ वर्ष की समाप्ति अर्थात २५ जनवरी, १९६५ के बाद भी-

(क) केंद्र के उन सभी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के अतिरिक्त जारी रहेगा, जिनमें उक्त तिथि से पूर्व उसका प्रयोग होता था, और

(ख) संसद की कार्रवाई के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी हिंदी के अतिरिक्त जारी रहेगा और एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य और राज्य व केंद्र के मध्य पत्राचार तथा विचारों के आदान –प्रदान के लिए भी २६ जनवरी, १९६५ के बाद अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा।

१.६.३ राजभाषा (संशोधन) विधेयक १९६७ :

संशोधित विधेयक राज्य सभा ने २२ दिसंबर, १९६७ को पारित किया। यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम के कुछ मुख्य उपबंध निम्नलिखित हैं–

(क) अधिनियम की धारा ३ के अनुसार(१) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए २६ जनवरी, १९६५ से तत्काल पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (२) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, २६ जनवरी, १९६५ के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रह सकेगा।

(ख) केंद्रीय सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनानेवाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके हिंदी के प्रयोग को स्वीकार न किया हो।

(ग) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों आदि के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक पत्र का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

(घ) राजभाषा अधिनियम की धारा ३(३) के अनुसार निम्नलिखित कागज-पत्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :

१. संकल्प, २. सामान्य आदेश, ३. नियम, ४. अधिसूचनाएँ , ५. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, ६. प्रैस विज्ञप्तियाँ, ७. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जानेवाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, ८. संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जानेवाले सरकारी कागज-पत्र, ९. संविदाएं, 10. करार, ११. अनुज्ञाप्तियाँ(Lisence), १२. अनुज्ञापत्र(Permit), १३. टेंडर नोटिस और १४. टेंडर फार्म।

(ङ) राजभाषा अधिनियम की धारा ४ में २६ जनवरी, १९७५ के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया। समिति में २० लोक सभा और १० राज्य सभा के सदस्य होंगे। यह

समिति संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की जांच करेगी। समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।(यह समिति कार्य कर रही है।)

(च) अधिनियम की धारा ७ के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए, अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में पारित किया जाता है तो उसके साथ, संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से , अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा।

(छ) धारा ४(४) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण कर्मचारी अपना कामकाज प्रभावी रूप में कर सकें और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित न हो।

(ज) राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, १९६७ में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनानेवाले सभी राज्यों के विधान मंडल आवश्यक संकल्प पारित न करें और उसके बाद ऐसा करने के लिए संसद का प्रत्येक सदन भी इस आशय का संकल्प पारित न कर दे।

१.६.२ राजभाषा नियम, १९७६ :

राजभाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ८ के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया था कि वह अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियमबना सकेगी। संविधान के अनुच्छेद ३४३ तथा राजभाषा अधिनियम, १९६३ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक आदेश जारी होते रहे किंतु नियम बनाने की कार्रवाई बहुत समय तक आरंभ नहीं की गई। ये नियम १९७६ में बनाए गए और इन्हें १७ जुलाई, १९७६ को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इनका नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम १९७६ है।

इससे पूर्व समय-समय पर जो आदेश जारी होते थे उनमें हिंदी के प्रयोग के संबंध में यथासंभव, किया जा सकेगा आदि जैसे अनिश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा था। इन नियमों में पहली बार किया जाएगा जैसे निश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया। इन नियमों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-

(क) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से "क क्षेत्र" में स्थित राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार) को या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जानेवाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास परिस्थिति में इन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(ख) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से "ख क्षेत्र" में स्थित राज्यों (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र) के प्रशासनों को भेजे जानेवाले पत्र आदि सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। तथापि इन राज्यों में रहनेवाले किसी व्यक्ति को भेजे जानेवाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में भेजे जा सकते हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से "ग क्षेत्र" में स्थित राज्यों ("क" और "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। इन राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" अथवा "ख" क्षेत्र की सरकारों, उनके कार्यालयों आदि को भेजे जानेवाले पत्रादि हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकते हैं।

(घ) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और संबंद्ध और अधिनस्थ कार्यालयों के बीच होनेवाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा। (यह अनुपात हिंदी संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया जाता है। इसमें धीरे-धीरे वृद्धि की जाती रही है।) "क" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच सभी पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाने का प्रावधान है।

(ङ) हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी मे ही दिए जाएंगे। हिंदी या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों के उत्तर भी हिंदीमें दिए जाएंगे।

(च) राजभाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ३(३) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी की होगी।

(छ) केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(ज) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, द्विभाषिक रूप में, तैयार किए जाएंगे। सभी फार्म, रजिस्टरों के शीर्ष, नाम-पट्ट, स्टेशनरी, आदि अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के ८० प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करके उनमें काम करनेवाले हिंदी में प्रविण कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ्टिंग और अन्य विनिर्दिष्ट कामों के लिए केवल हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है।

(ञ) ये नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होंगे।

(ट) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम, उसके अधीन बने नियमों और उनके अंतर्गत जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त सारी बातों के विवेचन के पश्चात निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का, अर्थात राष्ट्रभाषा का रूप उत्तरोत्तर निखर रहा है। इस देश की आसेतू-हिमाचल जनता संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही उपयुक्त मानती है। किंतु संविधान में राजभाषा के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करने के पश्चात स्पष्ट होता है कि संविधान के अनुच्छेद ३४३ की धारा (१) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किंतु इसी अनुच्छेद की धारा (३) द्वारा अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग का प्रावधान किया गया है। तीसरी धारा द्वारा संविधान को लागू करके १५ वर्ष बीतने के पश्चात भी अंग्रेजी के प्रयोग को कायम रखने की व्यवस्था की गई है। इससे बाद में कितने भी नियम, अधिनियम बनाए गए या बनाए जाए सब दिखावा ही प्रतीत होता है। क्योंकि राजभाषा अधिनियम धारा ३(३) के अंतर्गत संकल्प, निविदा-सूचना, अनुज्ञाप्तियाँ, करार, संविदा आदि कागजात अनिवार्यतः हिंदी-अंग्रेजी दोनों में जारी करने का आदेश होकर भी उसका भी कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कारण सन १९९९-2000 में हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के पश्चात भी चारोंओर हिंदी-कार्यान्वयन को कोई विशेष गति मिली है, यह नजर नहीं आता।

***